भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4628
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

लैंगिक आधार पर हिंसा

4628. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लैंगिक आधार पर हिंसा और घरेलू दुर्व्यवहार को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) बाल दुर्व्यापार और शोषण के मामलों का ब्यौरा क्या है और बाल संरक्षण के लिए कानूनी और संस्थागत तंत्र क्या हैं; और
(ग) परिवहन, शिक्षण संस्थाओं, घरों और कार्यस्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है और वे इससे निपटने में सक्षम हैं।

केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और सरकार ने इस संबंध में कई विधायी और योजनाबद्ध पहलें की हैं। इनमें "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस)", "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस)", भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023" (बीएसए), "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005" (पीडब्ल्यूडीवीए), "दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961", यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण,

प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 इत्यादि जैसे कानून शामिल हैं। इन कानूनी प्रावधानों के अलावा सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई कई योजनाओं और परियोजनाओं में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी); महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमीकरण, आपात स्थिति में अखिल भारतीय एकल नंबर (112)/मोबाइल ऐप-आधारित प्रणाली आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस), जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण, पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) इत्यादि शामिल हैं।

पीडब्ल्यूडीवीए की धारा 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले में उतनी संख्या में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का अधिदेश देती है जितनी वे आवश्यक समझें और साथ ही उस क्षेत्र या क्षेत्रों को अधिसूचित करने का भी अधिदेश देती है जिसमें एक संरक्षण अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग और प्रदत्त कर्तव्यों का पालन करेगा। संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह शिकायत प्राप्त होने पर घरेलू हिंसा के मामलों की जानकारी मजिस्ट्रेट को दे तथा मजिस्ट्रेट को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करे। तथापि, किसी आरोपी व्यक्ति को कानून के प्रावधानों के अनुसार तथ्यात्मक स्थितियों, साक्ष्य तथा सभी संबंधित कानूनी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है। पीडब्ल्यूडीवीए में महिलाओं को संरक्षण आदेश, निवास आदेश इत्यादि जैसे निवारक उपाय प्रदान किए गए हैं।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है और 01 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों जगह हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करती है। इसमें जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श सहित व्यापक एकीकृत सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। देश भर में 802 ओएससी कार्यशील हैं और 31 जनवरी, 2025 तक 10.80 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

निर्भया कोष के तहत, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने भी कई पहलें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआरएंडडी ने "पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क" के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है ताकि उनका सुचारू संचालन सुनिश्चित हो और इसमें चार महत्वपूर्ण घटकों, अर्थात अवसंरचना, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रतिक्रिया तंत्र पर जोर दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध के विशेष संदर्भ में

अपराध की रोकथाम और जांच के उद्देश्य से "महिला सुरक्षा और संरक्षा- पुलिस में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं और जांचकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका" नामक एक पुस्तक भी तैयार की गई है, जिसमें जांच, पीड़ित को मुआवजा और पुनर्वास भी शामिल है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और पता लगाने और अपराध के पीड़ितों के साथ समुचित बातचीत के लिए पुलिस बल में उचित व्यवहार और मनोवृत्ति कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया है। बीपीआरएंडडी द्वारा संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों के लैंगिक संवेदीकरण आदि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को मनो-सामाजिक परामर्श की जरूरत को समझते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऐसी महिलाओं की सहायता के लिए मनो-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर के वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के कर्मचारियों को "स्त्री मनोरक्षा" नामक परियोजना के अंतर्गत बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) की सेवाएं ली हैं।

मंत्रालय ने 22 जनवरी, 2025 को सभी कार्यात्मक सुविधाओं के साथ 'मिशन शक्ति पोर्टल' शुरु किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य महिलाओं के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना तथा विभिन्न योजनाओं और कानूनों के तहत कर्मियों और कर्तव्य धारकों की क्षमता का निर्माण करना है।

मंत्रालय समय-समय पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाता है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) जैसी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनार, कार्यशालाओं, ऑडियो-विजुअल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श/ जारी किए हैं।

(ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों पर डेटा संकलित और अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में प्रकाशित करता है जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के आंकड़े भी शामिल होते हैं। ये आंकड़े इसकी वेबसाइट https://ncrb.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त रिपोर्ट वर्ष 2022 तक की उपलब्ध है। बाल दुर्व्यापार के मामलों की विशिष्ट जानकारी ब्यूरो द्वारा अलग से नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 2022 के दौरान मानव

दुर्व्यापार के तहत दुर्व्यापार के शिकार (18 वर्ष से कम) और बचाए गए पीड़ितों (18 वर्ष से कम) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

भारत सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों जिसमें महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के अपराध भी शामिल हैं, की रोकथाम और उनके निवारण के मामले को सर्वोच्च महत्व देती है और दुर्व्यापार के खतरे को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने दुर्व्यापार से निपटने, पीड़ितों की सुरक्षा करने और दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास के लिए कई विधायी और योजनाबद्ध उपाय किए हैं।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 143 और 144, मानव दुर्व्यापार के विरुद्ध भारत के कानूनी ढांचे के महत्वपूर्ण घटक हैं। इन धाराओं में पहले भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 370 और 370ए के अंतर्गत शामिल अपराधों में परिवर्तन और उनका विस्तार किया गया है। बीएनएस की धारा 143 में दुर्व्यापार को विभिन्न बलपूर्वक साधनों का उपयोग करके शोषण के लिए किसी व्यक्ति की भर्ती, परिवहन, आश्रय, स्थानांतरण या प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। इस धारा में दुर्व्यापार के लिए कठोर दंड का उल्लेख है जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों या बच्चों के दुर्व्यापार के लिए और अधिक दंड का प्रावधान है। इसके अलावा, बीएनएस, 2023 की धारा 144, यौन शोषण सहित दुर्व्यापार किए गए व्यक्तियों के शोषण से संबंधित है। इस धारा में दुर्व्यापार किए गए बच्चों और वयस्कों के शोषण के लिए अलग-अलग दंडों का उल्लेख है जिसमें कारावास की अवधि और जुर्माने का स्पष्ट उल्लेख है। बीएनएस की धारा 111 के अंतर्गत संगठित अपराध को एक नए अपराध के रूप में शामिल किया गया है जो व्यक्तियों के दुर्व्यापार और वेश्यावृत्ति के लिए मानव दुर्व्यापार से संबंधित है। विवाह, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने से संबंधित बीएनएस की धारा 69, किसी अपराध के लिए बच्चे को काम पर रखने, नियुक्त करने या संलिप्त करने से संबंधित बीएनएस की धारा 95, वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चे को खरीदने से संबंधित बीएनएस की धारा 99 भी मानव दुर्व्यापार के संदर्भ में प्रासंगिक है। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चे को खरीदना (धारा 99), संगठित अपराध (धारा 111), भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण या अपंग करना (धारा 139) जैसे कुछ गंभीर अपराधों के संबंध में अनिवार्य न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 में भी दुर्व्यापार को एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है। बीएनएसएस की धारा 396 में पीड़ित मुआवजा योजना की एक रूपरेखा दी गई है जिसमें प्रत्येक राज्य सरकार को उन पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजा देने के उद्देश्य से धन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करने का अधिदेश दिया गया है जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। पेशेवर यौन शोषण के लिए वेश्यावृत्ति

और संबंधित अपराधों हेतु मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया गया है।

मानव दुर्व्यापार के सीमा-पारीय/अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के समाधान की दिशा में, भारत सरकार ने मानव दुर्व्यापार से निपटने के लिए बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कंबोडिया और म्यांमार जैसे कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों और कुछ बहुपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

मानव दुर्व्यापार के अपराध को रोकने और उससे निपटने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है, हालांकि, भारत सरकार मानव दुर्व्यापार के अपराध को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए समय-समय पर जारी विभिन्न सलाहों के रूप में दिशानिर्देश देकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। केंद्र सरकार की कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

(i) सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों को कवर करते हुए मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों (एएचटीयू) को उन्नत करने/स्थापित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। वर्तमान में, 827 एएचटीयू कार्यरत हैं, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 807, सीमा सुरक्षा बलों (बीएसएफ) में 15 और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में 5 एएचटीयू शामिल हैं। एसएसबी ने समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1903 भी शुरू किया है।

(ii) गृह मंत्रालय भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'राज्य स्तरीय सम्मेलनों' और न्यायिक संगोष्ठियों' के आयोजन में वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस/ कानून अधिकारियों को मानव दुर्व्यापार के मुद्दे का ध्यानपूर्वक और कुशल तरीके से समाधान करने में प्रासंगिक नवीनतम पहलों/विकास के बारे में संवेदनशील बनाना है।

(iii) गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 12 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय स्तर का एक संचार मंच - क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्राइ मैक) शुरू किया गया जिसका उद्देश्य विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अपराध और अपराधियों के बारे में 24x7 आधार पर ऑनलाइन जानकारी साझा करना और उनके बीच सूचना का निर्बाध आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। यह तत्समय आधार पर देश भर में मानव दुर्व्यापार के मामलों सहित महत्वपूर्ण अपराधों के बारे में जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है और अंतर-राज्यीय समन्वय को सुगम बनाता है।

(iv) सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अंतर-राज्यीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानव दुर्व्यापार के मामलों की जांच करने का अधिकार दिया है।

(v) निर्भया कोष के तहत वित्तीय सहायता से स्थापित महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) पुलिस स्टेशनों को महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और सुलभ बनाने पर विशेष ध्यान देते हैं।

(vi) आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 (अब बीएनएसएस में शामिल) के अनुसार यौन अपराधों में पुलिस जांच की निगरानी और ट्रैक करने के लिए यौन अपराधों के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण जांच ट्रैकिंग सिस्टम (आईटीएसएसओ) शुरू किया गया है। यह संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मामले की जांच की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा को सुगम बनाता है और अनुपालन दर में 2018 में 44.4% से 2023 में 61.5% तक की वृद्धि दर्शाता है।

(vii) विशेष रूप से पुलिस के लिए उपलब्ध, यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) को यौन अपराधियों की जांच और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए 20.9.2018 को शुरू किया गया जो जांच अधिकारियों को यौन अपराधों के खिलाफ निवारक उपाय करने के साथ-साथ आदतन यौन अपराधियों को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है।

(viii) मानव दुर्व्यापार अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएचटीओ), एलईए को तस्कर का पोर्टफोलियो खोजने की सुविधा प्रदान करता है जिसमें आपराधिक इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, आवागमन, अदालती कार्रवाई, अपील, मुलाकातियों आदि का विवरण प्राप्त होता है। तस्कर की डेटा खोज से ऐसे अपराधों की रोकथाम/पता लगाने और जांच के लिए विवरण प्राप्त होता है।

(ix) इसके अलावा, दुर्व्यापार के पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के संबंध में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति योजना के तहत एक घटक 'शक्ति सदन' बनाया है, जो एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। शक्ति सदन बेसहारा, व्यथित, वंचित महिलाओं और दुर्व्यापार आदि की शिकार महिलाओं के लिए एक गृह है और ऐसी महिलाओं को सहयोग, देखभाल और सहायता तथा सभी दैनिक ज़रूरतें और सेवाएं भी प्रदान करता है। इसी तरह, मिशन वात्सल्य के तहत बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) दुर्व्यापार के शिकार बच्चों की राहत और पुनर्वास संबंधी जरूरतों का ख्याल रखते हैं।

(ग): सरकार ने कार्यस्थलों सहित घरेलू और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ पहलें नीचे दी गई हैं:

i. आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने एवं उसमें सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) अधिनियमित किए हैं जो 1

जुलाई, 2024 से लागू हुए हैं। बीएनएस 2023 में, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों जो भारतीय दंड संहिता, 1860 में पहले अलग–अलग थे, को बीएनएस के अध्याय-V के तहत एक साथ लाया गया और समेकित किया गया है। बीएनएस में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों को मजबूत करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं विशेष रूप से, "संगठित अपराध" से संबंधित धारा 111; विवाह, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा कर या पहचान छिपाकर यौन संभोग से संबंधित धारा 69; अपराध करने के लिए बच्चे को हायर करने, काम पर रखने, या उससे अपराध कराने से संबंधित धारा 95; वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए बच्चे को खरीदने (धारा 99), सामूहिक बलात्कार (धारा 70) और मानव दुर्व्यापार के शिकार व्यक्ति के शोषण (धारा 144) संबंधी अपराधों के लिए सजा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, महिलाओं के प्रति कतिपय गंभीर अपराधों जैसे वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से बच्चा खरीदना (बीएनएस की धारा 99), संगठित अपराध (धारा 111), भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण अथवा अपंग बनाना (धारा 139) के संबंध में अनिवार्य न्यूनतम दण्ड निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, बीएनएस 2023 की धारा 75 और 79 उत्पीड़न के प्रति अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें अशोभनीय यौन संकेत, यौन संबंध के लिए अनुरोध, यौन संबंधी टिप्पणियां और किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य जैसे कार्य शामिल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली ऐसी महिला के पास इन प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करने का विकल्प है।

ii. शून्य एफआईआर और इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (ई-एफआईआर) की शुरूआत कानूनी प्रणाली को आधुनिक बनाने और कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता में सुधार करने में एक उल्लेखनीय प्रगति है। इन उपायों ने प्रणाली में भौगोलिक प्रतिबंधों और प्रशासनिक अड़चनों को दूर किया है।

iii. बीएनएसएस की धारा 193(3)(ii) में प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी नब्बे दिनों की अवधि के भीतर जांच की प्रगति की जानकारी मुखबिर या पीड़ित को देगा। बीएनएसएस की धारा 398 के प्रावधानों से गवाह संरक्षण योजनाओं की शुरुआत हुई है जिसमें गवाहों को धमकियों और त्रास से बचाने की महत्वपूर्ण जरूरत को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, बीएसए की धारा 2(1)(डी) में ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों पर संग्रहीत संदेशों और वॉयस मेल संदेशों को अब दस्तावेजों की परिभाषा के तहत शामिल किया गया है।

iv. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' (एसएच अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए शी–बॉक्स पोर्टल शुरु किया है। यह पोर्टल देश भर में चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र, में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने वाला केंद्रीकृत भंडार है। यह शिकायतें दर्ज करने एवं इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने का एक साझा मंच भी प्रदान करता है। इस पोर्टल में एक ऐसी सुविधा है जिसमें इस पर पंजीकृत शिकायतों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र के भीतर संबंधित कार्यस्थलों के आईसी/एलसी को स्वचालित रूप से अग्रेषित कर दिया जाएगा। इस पोर्टल में प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान है जिसे शिकायतों की तात्कालिक निगरानी के लिए नियमित आधार पर आंकड़ों/सूचनाओं को अद्यतन करना सुनिश्चित करना होता है।

v. निर्भया कोष के तहत, सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं। उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित के अलावा, इनमें 8 शहरों (अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं शामिल हैं ताकि उन सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके जहां महिलाएं काम करती हैं और रहती हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए, रेल और सड़क परिवहन परियोजनाएं जैसे रेल मंत्रालय द्वारा एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस), कोंकण रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) को वीडियो निगरानी प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है, 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर और ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए टैब, और और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कमांड और कंट्रोल सेंटर के साथ वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जैसी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी), तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) आदि कुछ राज्य विशिष्ट परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। जघन्य यौन अपराधों की पीड़ित दुर्भाग्यपूर्ण महिलाओं और युवतियों को सुनिश्चित न्याय के उद्देश्य से सरकार 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। जनवरी 2025 तक, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में

404 विशिष्ट पॉक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालयों सहित कुल 745 एफटीएससी कार्यरत हैं जिन्होंने देश भर में बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है।

vi. सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी साक्षरता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है जिसमें समाज के वंचित और कमज़ोर वर्गों तक कानूनी जानकारी के प्रसार का प्रावधान है। इस अधिनियम के माध्यम से, विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी साक्षरता शिविरों, कार्यशालाओं, मीडिया अभियान का संचालन और क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री वितरित करते हैं। यह पहल नागरिकों को उनके अधिकारों और उपायों की जानकारी से सशक्त बनाने, न्याय तक समान पहुंच को बढ़ावा देने और शोषण को कम करने पर जोर देती है। इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत स्थापित लोक अदालतें न केवल विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाती हैं बल्कि कानूनी जागरूकता फैलाने वाले मंच का भी काम करती हैं।

vii. इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति के तहत उप-योजना "सामर्थ्य" भी संचालित करता है, जिसमें शक्ति सदन घटक कठिन परिस्थितियों में रहने वाली और दुर्व्यापार की पीड़ित महिलाओं को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए है।

viii. मिशन शक्ति के अन्य घटक सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) में शहरी, अर्ध-शहरी, या ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, वहां कामकाजी महिलाओं को जहां भी संभव हो, उनके बच्चों के लिए डे केयर की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ सुरक्षित एवं सुविधाजनक रूप से स्थित आवास उपलब्ध कराया जाता है। सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 5000 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए हैं।

ix. इसके अलावा, मंत्रालय ने बच्चों को शोषण/हिंसा और यौन शोषण से बचाने के लिए पॉक्सो नियमावली, 2020 भी अधिसूचित की है। पॉक्सो नियमावली, 2020 के नियम 3 में प्रावधान है कि बच्चों को रखने वाली या बच्चों के नियमित संपर्क में आने वाली कोई भी संस्था जिसमें स्कूल, क्रेच, खेल अकादमी या बच्चों के लिए कोई अन्य संस्था शामिल है, को समय-समय पर हर कर्मचारी, शिक्षण या गैर-शिक्षण, नियमित या संविदा, या ऐसे संस्थान का कोई अन्य कर्मचारी जो बच्चे के संपर्क में आता है, का पुलिस सत्यापन और पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करनी होगी। ऐसी संस्था को यह भी

सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाए। नाबालिग गर्भवती बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 से, निर्भया कोष से "यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों के लिए देखभाल और सहायता की योजना" नामक एक केंद्रीय वित्तपोषित योजना भी शुरू की है जिसका कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाएगा।

सरकार की व्यापक पहलें महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के प्रति उसकी सशक्त प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। विधायी सुधारों, तकनीकी प्रगति, पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण और जागरूकता कार्यक्रमों को एकीकृत करके, सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों का निदान करने, न्याय सुनिश्चित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त आधार तैयार किया है। ये प्रयास एक सुरक्षित और समावेशी समाज को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम हैं जिसमें महिलाएं बिना किसी डर या भेदभाव के आगे बढ़ सकती हैं।

*****

अनुलग्नक

श्रीमती रचना बनर्जी द्वारा लिंग-आधारित हिंसा के संबंध में 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4628 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2022 के दौरान मानव दुर्व्यापार के तहत दुर्व्यापार किए गए पीड़ितों (18 वर्ष से कम) और बचाए गए पीड़ितों (18 वर्ष से कम) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दुर्व्यापार किए गए पीड़ित (18 वर्ष से कम)	बचाए गए पीड़ित (18 वर्ष से कम)
1	आंध्र प्रदेश	14	14
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3	असम	123	156
4	बिहार	613	613
5	छत्तीसगढ़	26	26
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	6	6
8	हरियाणा	13	11
9	हिमाचल प्रदेश	0	0
10	झारखंड	129	113
11	कर्नाटक	7	7
12	केरल	140	128
13	मध्य प्रदेश	91	89
14	महाराष्ट्र	56	56
15	मणिपुर	0	0
16	मेघालय	0	0
17	मिजोरम	0	0
18	नागालैंड	0	0
19	ओडिशा	353	564
20	पंजाब	12	9
21	राजस्थान	453	453
22	सिक्किम	0	0
23	तमिलनाडु	3	3
24	तेलंगाना	63	63
25	त्रिपुरा	0	0
26	उत्तर प्रदेश	73	73
27	उत्तराखंड	7	7

28	पश्चिम बंगाल	78	91
	राज्यों का योग	**2261**	**2483**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
30	चंडीगढ़	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	605	605
33	जम्मू एवं कश्मीर	10	10
34	लद्दाख	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0
36	पुदुच्चेरी	2	0
	संघ राज्य क्षेत्रों का योग	**617**	**615**
	कुल (अखिल भारतीय)	**2878**	**3098**

नोट: मानव दुर्व्यापार के प्रकाशित आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों से उपलब्ध कराए गए वार्षिक आंकड़ों पर आधारित हैं।

***पिछले वर्षों के दौरान दुर्व्यापार किए गए कुछ पीड़ितों को वर्ष 2022 में बचाया गया है।**

****